

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

8.40 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण,2018 के रि-इश्यु के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 50.14 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,14,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2

उप आवासीय आयुक्त कार्यालय मध्यलोक मुम्बई के लिये आगामी वर्ष के लिये विभिन्न मदों में राशि रुपये 4.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली कार्यालय के अंतर्गत शंकरधाम के नाम से नई योजना खोलते हुये आगामी वर्ष के लिये इस योजना हेतु राशि रुपये 7.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05
मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

जेल विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 1

संचालनालय कोष एवं लेखा अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं की अदायगी हेतु विशेष सेवाओं के लिये मानदेय के लिये प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत लंबित दायित्वों का भुगतान करने हेतु अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नवीन योजना संचालित किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 4406

मद क्रमांक 1 - 4

वन विभाग के अंतर्गत नवीन कार्य योजना के निर्माण हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली प्रदाय की इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली प्रदाय की इंदिरा किसान ज्योति योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्तर पर डिक्रीधन भुगतान हेतु राशि रुपये 7.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवीन योजना जबलपुर एवं ग्वालियर में डेयरी साइंस एण्ड फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1-3

शहरी क्षेत्रों के युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिये युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की जाना है। इस हेतु रुपये 50.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 4

प्रदेश में कुछ चयनित नगरीय निकायों को सुपर मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु नवीन योजना खोलते हुये राशि रुपये 99,99,900 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,99,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्वारीघाट में केबल ब्रिज निर्माण हेतु वृहद निर्माण कार्य के लिये नवीन योजना खोलकर रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मध्यप्रदेश अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 7

मध्यप्रदेश अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

वृहद पुलों का निर्माण अन्तर्गत अपरिक्षित मद के रूप में निम्नांकित 1 पुल कार्य लागत राशि रुपये 1280.00 लाख का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जायेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	प्रावधान की राशि (रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	---------------------------------

1.	बालाघाट	वारासिवनी-खण्डवाव मार्ग में चंदन नदी पर पुल का निर्माण	1280.00	100
----	---------	--	---------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मुख्य जिला मार्ग अंतर्गत निम्नांकित सड़क मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था विभागीय बजट की बचत से की जायेगी:-

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ में)	प्रस्तावित प्रावधान (रुपये में)
------	------	--------------	--------------------	------------------------------	------------------------------------

1.	राजगढ़	जीरापुर से भोजपुर मार्ग	25	18.75	100
----	--------	-------------------------	----	-------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-3

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को समाहित करते हुये नवीन समग्र शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ की गई है। योजना के संचालन हेतु राजस्व मद में प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 4-6

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को समाहित करते हुये नवीन समग्र शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ की गई है। योजना के संचालन हेतु पूंजीगत मद में प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1-3

शहरी क्षेत्रों के युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिये युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की जाना है। इस हेतु रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4-6

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये एक नवीन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम बनाई गई है। योजना को संचालित करने हेतु प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत शासन महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गठित स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत म.प्र. के लिये स्ट्राइव योजना संचालित की जानी है। इस हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 8

भारत शासन महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गठित स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत म.प्र. के लिये स्ट्राइव योजना संचालित की जानी है। इस हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

खालवा लिंक माइक्रो उद्वहन सिंचाई की नवीन परियोजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत रुपये 1103.28 करोड़ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

बदनावर लिंक माइक्रो उद्वहन सिंचाई की नवीन परियोजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत रुपये 1520.92 करोड़ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1 - 3

प्रदेश के राम पथगमन अंचलों का विकास किये जाने हेतु योजना प्रारंभ की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।